न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 105/2017

1. मोहरा देवी पत्नी तिलोकाराम पुत्र हरीराम उर्फ सुखराम जाति नायक निवासी चक 41 पीएस छोटी तहसील रायसिंहनगर।
2. जगदीश पुत्र तिलोकाराम पुत्र हरीराम उर्फ सुखराम जाति नायक निवासी चक 41 पीएस छोटी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह रामगढिया निवासी चक 34 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधि. 1955

विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर

दिनांक 11.07.2017

उपस्थिति—

श्री परमजीत सिंह अभिभाषक अपीलांट्स

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

श्री दिनेश जोशी अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय

दिनांक— 18/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता कुलविन्द्र सिंह ने एक प्रा.पत्र जिलाधी (सर्तकता) के समक्ष पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 तिलोकाराम ने गलत बयानी करके चक नं. 41 पीएस तहसील रायसिंहनगर में मु.नं. 90 पुराना व नया 82 में 24.15 बीघा बारानी भूमि टीसी पर आवंटित करवा रखी है जबकि इसके पास इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र की रोही कमरानिया व सरदारपुरा बीका में पुख्ता आवंटन भूमि है। अप्रार्थीसं. 2 ने धोखाधडी करके गांव रामसरा कुम्हारान तहसील रायसिंहनगर में भूमि आवंटित करवा रखी है। चक 36 पी.एस. में मु.नं. 42 में 15.00 बीघा , मु.नं. 52 में 25.00 बीघा कुल 40.00 बीघा बारानी कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भूमि टी.सी. पर आवंटित करवा रखी है। इसके अलावा चमकौर सिंह के पिता अमरसिंह व उसके दादा के नाम से 41 पी.एस. में सीलिंग सीमा से ज्यादा भूमि है। इस प्रकार निवेदन किया कि जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(A) अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर अतिरिक्त जिला (प्रशा.) श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2017 से अप्रार्थी तिलोकाराम के द्वारा धारित की जा रही भूमि में 4.12 बीघा भूमि सीमा से अधिक होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश देते हुए तहसीलदार रायसिंहनगर को उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 23.11.95 के अनुसरण में त्रिलोकाराम द्वारा धारित भूमि में से 4.12 बीघा नहरी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर राजस्व अभिलेखों में आराजी राज दर्ज करने एवं नियमानुसार काश्त व्यवस्था करायी जाने के आदेश दिये।

(B) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधि. मय शपथ पत्र पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(I) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों.सं. 2 ने गलत तथ्यों पर शिकायत प्रा.पत्र तिलोकाराम व अमरसिंह के खिलाफ पेश किया है। प्रकरण दर्ज किया जाकर तिलोकाराम को कोई नोटिस दिये तथा दौराने मुकदमा तिलोकाराम का देहांत दिनांक 26.01.2012 को हो जाने के उपरांत बिना उसके वारिसान अपीलांट्स व अन्य को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध, खिलाफ वाक्यात होने से निरस्त करने योग्य है। तिलोकाराम का देहांत हो गया। शिकायतकता अथवा स्टेट का दायित्व था कि वह तिलोकाराम के वारिसान को निर्धारित अवधि 90 दिवस के अन्दर प्रतिस्थापित करवाते मगर तिलोकाराम के वारिसान को प्रतिस्थापित नही करवाया गया। अतः प्रकरण अबैट हो गया तथा अबैटशुदा प्रकरण में कानूनन कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता अपील देरी से पेश करने बाबत अपील के साथ दफा 5 मियाद

अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर रखा है। उक्त प्रा.पत्र में देरी बाबत समुचित कारण अंकित किये गये हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की करने का आदेश फरमावे।

(II) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

(III) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 अपनी बहस में अधी. न्यायालय में प्रस्तुत शिकायत प्रा.पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर सीलिंग सीमा से अधिक भूमि आवंटन करवायी। अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन सही पारित किया है। इसके अलावा अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) पत्रावलीनुसार प्रकरण 1989 से अधी. न्यायालय में रेस्पों. कुलविन्द्र की शिकायत पर दर्ज होकर अधी. न्यायालय में लगभग 30 वर्षों से जैरकार रहा।

(b) अधी. न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर आदेशिका के अनुसार दोनों पक्ष अधिवक्ता उपस्थित रहे व बहस हेतु समय चाहते रहे, जैसे कि दिनांक 14.10.2014 से लगातार 11.07.2017 तक 32 के लगभग पेशीया बहस स्तर पर पडी व पत्रावलीनुसार 'उभयपक्ष' उपस्थित अंकित रहा।

(c) अतःयह कहना कि अपीलांट की मृत्यु 2012 में हो चुकी थी। इस तथ्य की जानकारी समय रहते स्वयं अप्रार्थी का अधी. न्यायालय में अधिवक्ता को नहीं रही, विश्वास योग्य नहीं है।

(d) यह भी कहना कि उसे सूचना नहीं थी। यह भी विश्वास योग्य नहीं है जबकि सीलिंग प्रकरण लगभग 29 वर्षों से अधी. न्यायालय में विचाराधीन था व उभयपक्ष उपस्थित– बहस हेतु समय चाहा अंकित रहा।

(e) अधी. न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी व तहसील रिपोर्ट लेकर सीलिंग की गणना कर अपीलांट की धारित भूमि में से 4.12बीघा भूमि अधिशेष घोषित कर आराजी राज घोषित की, उसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते।

(f) अपीलांट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है और इस न्यायालय से अनुचित रूप से एकतरफा स्थगन भी प्राप्त किया जिसका कोई यथोचित कारण नहीं दिया जबकि अधि. न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि वे स्वयं लम्बे समय से बहस हेतु समय चाहते रहे। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज होनी चाहिए।

(g) उपरोक्त विवेचन से यह अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/7/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर